

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| 1— मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास
प्राधिकरण, देहरादून। | 2— उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
देहरादून / हरिद्वार। |
| 3— जिलधिकारी / उपाध्यक्ष,
समस्त जिला विकास प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड। | 4— सचिव,
दूनघाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण
देहरादून। |
| 5— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून। | |

आवास अनुभाग—२

देहरादून, दिनांक ०५ फरवरी, 2019

विषय— उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन, 2015)
में निहित मानकों में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या—888 / V—
2013—55(आ०) / 2006—टी०सी०, दिनांक 12.06.2015 द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण
एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में यथा संशोधन करते हुए
प्रख्यापित की गयी थी। उक्त भवन उपविधि के कतिपय प्राविधानों को समय—समय पर
यथा संशोधन भी किया गया है।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य की विषम भौगोलिक
पारिस्थितियों यथा भवन हेतु भूमि की सीमित उपलब्धता, भूखण्डों का न्यूनतम क्षेत्रफल, पहुंच मार्ग की चौड़ाई आदि कम होने की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम
मानकों को यथावश्यक कम करते हुए आवासीय, चिकित्सीय, पर्यटन, व्यवसायिक आदि
गतिविधियों का विस्तार किये जाने हेतु भवन उपविधि के मानकों को संलग्न
परिशिष्ट—१ एवं तालिका—०१, ०२, ०३ के अनुसार संशोधित किये जाने की अनुमति
प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3— उपरोक्तानुसार भवन उपविधि के संलग्न संशोधनों के अतिरिक्त शेष
अन्य प्राविधान शासनादेश संख्या—888 / V—2013—55(आ०) / 2006—टी०सी०, दिनांक
12.06.2015 एवं तदविषयक संशोधित शासनादेशों के प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

4— उक्त संशोधित प्राविधान, संबंधित प्राधिकरणों के बोर्ड से अंगीकरण के उपरान्त
ही लागू होंगे।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या— ३१ /V-2-2019-55(आ०) / 2006-टी०सी०-तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 3— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 4— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5— प्रमुख निर्जी सचिव, मा० मंत्री, आवास विभाग, उत्तराखण्ड को मा० आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
- 6— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायू मण्डल, पौड़ी/देहरादून।
- 7— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8— सचिव, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण/मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून।
- 9— सचिव, दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 10— सचिव, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 11— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव

परिशेष 1

जलराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानकों मे संशोषित प्राविधान			
उपविधि/विनियम की बिन्दु संख्या	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानक मे संशोषित प्राविधान	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानक मे संशोषित प्राविधान	अभियुक्ति/टिप्पणी
1 बिन्दु संख्या 2.3 (Chapter-II) परियासये (शासनादेश संख्या 2013/V. 2015-55 (आ)) / 2006-टी०सी० दिनांक पर्वतीय क्षेत्र हेतु यथा संशोषित परियासा मे अतिरिक्त प्राविधान गोड़ा जाना है।	Areas, Hills (पर्वतीय क्षेत्र): राजस्व अभिलेखों के अनुसार पर्वतीय ग्राम 1. पिथौरागढ़, अलौड़ा, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, अलौड़ा पौड़ी, टिहरी तथा चम्पावत जनपदों मे समृद्ध क्षेत्र 2. देहरादून जनपद की पुरानी चक्रवात तहसील व मूसी सब डिवीजन 3. नैनीताल जनपद की नैनीताल तहसील, कोशिया कटौली तहसील तथा धारी तहसील 4. उत्तराखण्ड नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर जनपद व चम्पावत का समृद्ध क्षेत्र तथा कोटड्वार नगरपालिका को छोड़कर जनपद वाड़ी (अदिक्षिका महायोजना क्षेत्र को छोड़कर) का समृद्ध क्षेत्र तथा रामनगर नगरपालिका सीमा की उत्तरी सीमा से उत्तर की ओर रामनगर तहसील का समृद्ध क्षेत्र	Areas, Hills (पर्वतीय क्षेत्र) तथा Areas, Plain (मैदानी क्षेत्र) के मध्य के ऐसे क्षेत्र जो अधिकारित पर्वतीय भू-भाग की प्रकृति लिये होते हैं किन्तु ऐसे क्षेत्रों मे भवन निर्माण हेतु भवन उपविधि मे मैदानी क्षेत्रों हेतु निष्पत्ति मानकों का प्रयोग किया जाता जाता है जिससे भू-भाग की प्रवृत्ति के विषयत अव्यवहारिक निर्माण कार्य प्रोत्साहित हो रहे हैं। अतः देहरादून, नैनीताल, अलौड़ा, टिहरी, पौड़ी तथा चम्पावत जनपदों के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य के क्षेत्र को "फुटहिल" के रूप मे परियासित किया जाना है। "फुटहिल" क्षेत्रों का निर्धारण सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राकृकरण के बारे द्वारा किया जाना है किन्तु बारे द्वारा एक वार निर्धारण किये जाने के पश्चात, दूसरी बार "फुटहिल" क्षेत्रों के निर्धारण/संशोधन ग्रन्त सरकार की सहमति के पश्चात किया जायेगा। (1) फुटहिल क्षेत्रों मे अधिकतम भवन केंद्रई 21 मी० अनुमत्य होगी (विद्यमान मान चौडाई के अनुसार) (2) फुटहिल क्षेत्रों मे पहुच मार्ग की चौडाई भवन उपविधि मे मैदानी क्षेत्रों हेतु निष्पत्ति पहुच मार्ग की चौडाई से 25 प्रतिशत कम होनी अर्थात मैदानी क्षेत्रों मे यदि पहुच मार्ग की चौडाई 9 मी० निष्पत्ति हो तो वह फुटहिल क्षेत्रों मे 6.75 मी० होगी। (3) फुटहिल क्षेत्रों मे भवन उपविधि के शैक्ष प्राविधान मैदानी क्षेत्रों के समान होगे।	आतिरिक्त बिन्दु 3 आतिरिक्त बिन्दु 4 आतिरिक्त बिन्दु 3 आतिरिक्त बिन्दु 4
बिन्दु संख्या 2.4	Areas, Plain (मैदानी क्षेत्र): उपरोक्त वर्णित पर्वतीय क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य का अवशेष क्षेत्र।	Areas, Plain (मैदानी क्षेत्र) के अवशेष क्षेत्र।	

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानकों मे संशोषित प्राविधान	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानक मे वर्तमान प्राविधान	अभियुक्ति / टिप्पणी
1	2	3
2. बिंदु 4.1 (Chapter-IV) Site Development Parameters for Buildings/projects other than special township का संशोधन	बिंदु 4.1 मे प्राविधानित तालिका के रूप मे पर्वतीय व दर्शायी गयी पहुँच मार्ग की विद्यमान चौड़ाई/महायोजना मे निर्धारित चौड़ाई	बिंदु 4.1 मे प्राविधानित तालिका के रूप मे पर्वतीय व दर्शायी गयी पहुँच मार्ग की विद्यमान चौड़ाई/महायोजना मे निर्धारित चौड़ाई के अनुसार संशोषित किये जाते हैं।
बिंदु 4.2 का संशोधन	बिंदु 4.2 मे प्राविधानित तालिका के रूप दर्शाये गये पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों हेतु भूखण्ड का चूनतम क्षेत्रफल।	बिंदु 4.2 मे तालिका के रूप दर्शाये गये पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों हेतु भूखण्ड का चूनतम क्षेत्रफल के निर्धारित मानकों को सलग तालिका के अनुसार संशोषित किये जाने हैं।
पब्लिक / सेमी पब्लिक – शैक्षिक संस्थान (Educational)	पब्लिक / सेमी पब्लिक – शैक्षिक संस्थान (Educational)	पब्लिक / सेमी पब्लिक – शैक्षिक संस्थान (Educational)
Type of Building	Plain	Hills
Nursery/Creche	750	500
Primary schools	4000	3000
Middle school	8000	6000
High school	18000	13500
Integrated school (1 st to 12 th)	30000	15000
University	100000	75000
पब्लिक / सेमी पब्लिक – चिकित्सा (Health):-	पब्लिक / सेमी पब्लिक – चिकित्सा (Health):-	पब्लिक / सेमी पब्लिक – चिकित्सा (Health):-
Type of Building	Plain sqm	Hills sqm
Laboratory/Clinics	500	250
Maternity homes and child care centre/Nursing Homes/Dispensary	1000	750
Hospital upto 50 beds	4000	-
More than 50-200 beds	25000	-
City/zonal/regional level hospital	40000	-
Type of Building	Plain sqm	Hills sqm
Laboratory/Clinics/Diagnostic centre	300	150
Maternity homes and child care centre/Nursing Homes/Dispensary	750	500
Hospital upto 50 beds	2000	1500
Hospital 51-100 beds	5000	4000

उपविधि / विनियम की बिन्दु संख्या 1	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानकों मे संशोधित प्राविधिक उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानक मे वर्तमान प्राविधिक उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानक मे संशोधित प्राविधिक उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानकों मे संशोधित प्राविधिक अधियक्षित / विधिपती	more than 200	2	3	4	3	4	4	4
	विन्दु संख्या 4.2 मे तालिका के रूप दर्शाये गये विभिन्न भवनों/परियोजनाओं के प्रकार (Types of Buildings/Projects) की श्रेणियों मे निम्नवत् श्रेणियों को जोड़ा जाना,	विन्दु संख्या 4.2 मे तालिका के रूप दर्शाये गये विभिन्न भवनों/परियोजनाओं के प्रकार (Types of Buildings/Projects) की श्रेणियों मे निम्नवत् श्रेणियों को जोड़ा जाना,	विन्दु संख्या 4.2 मे तालिका के रूप दर्शाये गये विभिन्न भवनों/परियोजनाओं के प्रकार (Types of Buildings/Projects) की श्रेणियों मे निम्नवत् श्रेणियों को जोड़ा जाना,	(1) Hotels	(1) Hotels	(2) Hostel	(2) Hostel	(2) Hostel upto 50 Beds	(2) Hostel upto 50-100 Beds
	विन्दु संख्या 5.1 Height of Building (भवन की ऊँचाई) (ii) (Chapter – V) General Building Requirements का संशोधन (ii) मैदानी क्षेत्रों मे।	विन्दु संख्या 5.1 Height of Building (भवन की ऊँचाई) (ii) (Chapter – V) General Building Requirements का संशोधन (ii) मैदानी क्षेत्रों मे।	विन्दु संख्या 5.1 Height of Building (भवन की ऊँचाई) (ii) (Chapter – V) General Building Requirements का संशोधन (ii) मैदानी क्षेत्रों मे।	विन्दु संख्या 5.1 Height of Building (भवन की ऊँचाई) (ii) (Chapter – V) General Building Requirements का संशोधन (ii) मैदानी क्षेत्रों मे।	(1) मूली क्षेत्र, नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम तथा यासनोत्री धाम के क्षेत्र को छोड़ते हुये अन्य विकास क्षेत्रों मे निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे भवनों के विभिन्न श्रेणियों हेतु सतलग तालिका के अनुसार भूखण्ड / भवन के सम्मुख विस्तर नार्ग की ऊँचाई विद्यमान / अधिकृत चौड़ाई व भवनों की ऊँचाई सतलग तालिका अनुसार किया जाना प्राविधिक है।	(1) मूली क्षेत्र, नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम तथा यासनोत्री धाम के क्षेत्र से ऐसे क्षेत्रों का निर्वाचित करें जिसको "High-Rise Buildings Zone" घोषित किया जा सके तथा विकास प्राधिकरण बोर्ड से अनुमतिने प्रस्तावित के प्रस्तावित भास्टर लॉन मे ऐसे क्षेत्र को विभिन्न किया जायेगा।	(2) सभी प्रकार की परियोजनाओं मे जिसमे प्रस्तावित FAR 1.8 से अधिक है, मे यदि ग्रीन विल्डिंग प्रानांगिकरण होता है तो प्रोत्साहन के रूप मे अधिकतम 0.5 FAR देय होगा। इसके अतिरिक्त शेष प्रस्तावित FAR के योग होगा। यद्यपि कातिपूर्ति FAR उक्त प्रस्तावित समस्त प्रकार से अतिरिक्त देय होगा।	(3) सामुहिक आवास, बहुमंजिली आवास तथा मिश्रित	

उपविष्टि / विनियम की बिन्दु संख्या	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविष्टि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानकों मे संशोधित प्राविधान	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविष्टि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानकों मे संशोधित प्राविधान	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविष्टि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानकों मे संशोधित प्राविधान
1	2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानक मे वर्तमान प्राविधान	2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानक मे संशोधित प्राविधान	अभियुक्ति / टिप्पणी
2			
3			
4			
2. बिन्दु 5.5 (Chapter V) Ground Coverage & FAR का संशोधन	बिन्दु 5.5 मे आवासीय व व्यवसायिक मू-उपयोगो हेतु तालिका के रूप मे पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रो हेतु दर्शाये गये भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर के मानक। 1. आवासीय II. व्यवसायिक / कार्यालय	बिन्दु 5.5 मे आवासीय व व्यवसायिक मू-उपयोगो हेतु तालिका के रूप मे पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रो हेतु दर्शाये गये भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर के मानकों मे संलग्न तालिका अनुसार संशोधित प्राविधान।	संलग्न तालिका-I, तालिका-2 के अनुसार आवासीय व व्यवसायिक भवनो हेतु संशोधित मानकों के अनुसार प्राविधानित।
3. बिन्दु 5.6 (Chapter V) Parking का संशोधन	बिन्दु 5.6 के उप-बिन्दु (II) -पार्किंग मानक मे अतिरेक विनियम जोड़ा जाना है।	बिन्दु 5.6 मे तालिका के रूप मे दर्शाये गये पार्किंग के मानकों मे संलग्न तालिका अनुसार संशोधन प्रस्तावित।	संलग्न तालिका-3 के अनुसार निर्धारित
4. प्रस्तर 5 (Chapter-V)			

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानकों से संशोधित प्राविधान

उपविधि / विनियम की विन्दु संख्या	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानक से वर्तमान प्राविधान	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानक में संशोधित प्राविधान	अभियुक्ति / टिप्पणी
1			4
2		3	
7. प्रस्तर परिषारां	Chapter II परिषारां विनियम 2.57 के प्रश्नात अतिरिक्त विन्दु- सम्मिलित किया जाना	<p>जायेगी। संबंधित प्राधिकरण के द्वारा यदि 15 दिन के अंतर सरकारी भवन के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है, तो उसे औन्ब स्वीकृत मान लिया जायेगा। सरकारी भवनों के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड स्थानीय वारस्तकला का समावेश किया जायेगा।"</p> <p>पुर्णस्थापित अन्य विन्दु-</p> <p>2.58: ऐसे सभी क्षेत्र जो कि आवास विभाग द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से लिखित किये जायेंगे, उक्त क्षेत्रों के भवनों के 200 मी० की परिस्थि मे किसी भी प्रकार के बहुमिली भवन जिनकी कॉर्चाई 12 मी० से अधिक हो, का निर्माण अनुमत्य न किया जाय।</p> <p>पुर्णस्थापित अन्य विन्दु-</p> <p>2.59: पर्यटन गतिविधियः होटल मे FAR व्यवसायिक श्रेणी के अनुरूप होगे तथा इसके अतिरिक्त चेन होटल (Chain Hotel) के यदि कोई डिजाइन सम्बंधित मानक हों तो वह स्वतः ही प्राप्ति होगे।</p>	-
		<p>पुर्णस्थापित अन्य विन्दु-</p> <p>2.60: High-Rise Buildings Zone स्थानीय विकास प्राधिकरण मे चिह्नित ऐसे क्षेत्र जहाँ 30 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों का निर्माण किया जायेगा ताकि High-Rise Buildings को प्रोत्तमाहित किया जा सके।</p>	<p>प्रत्येक स्थानीय विकास प्राधिकरण, अपने विकास क्षेत्र मे ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण करेंगे जिसको "High-Rise Buildings Zone" घोषित किया जा सके तथा विकास प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदन के प्रश्नात मास्टर प्लान मे ऐसे क्षेत्र को चिह्नित किया जायेगा।</p>
		<p>पुर्णस्थापित अन्य विन्दु-</p> <p>2.61 पहुंच मार्ग मे शिखिलता-</p> <p>(1) नगर के विकसित क्षेत्रों मे ऐसे भूखण्ड जिनको भवन उपविधि मे ऐदानी क्षेत्रों हेतु प्राविधानित निर्धारित न्यूनतम मार्ग चौड़ाई के दो पृथक्-पृथक् मार्गों से पहुंच मिलती हो, मैं भूखण्ड हेतु अधिक चौड़े मार्ग की कुल चौड़ाई तथा कम चौड़े मार्ग की अधी चौड़ाई के कुल योग के अनुसार भवन की कॉर्चाई व अन्य प्राविधान भवन उपस्थिति के मानकों के अनुसार अनुमत्य होगे।</p>	<p>विन्दु 1 हेतु उदाहरण-</p> <p>यदि दो पृथक्-पृथक् मार्ग की चौड़ाई क्रमशः 9 तथा 10 मीटर हो, तो कम मार्ग की चौड़ाई का आधा व अधिक चौड़े मार्ग का योग $(4.5+10)$ 14.5 मी० चौड़ाई के अनुसार भवन उपस्थिति मे 14.5 मी० मार्ग हेतु प्राविधानित भवन की कॉर्चाई अनुमत्य होगी।</p>

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानकों मे संशोधित प्राविधिक

उपविधि / विनियम की बिन्दु संख्या	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानक मे वर्तमान प्राविधिक	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) मे निहित मानक मे संशोधित प्राविधिक
1	2	3
		4
		(2) नगर के ऐसे विकसित क्षेत्र जो मुख्य राज्य अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग से लगे हुये हों तथा ऐसे क्षेत्रों मे मुख्य राज्य अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुये पहुँच मार्ग के मोहाने पर चौड़ाई न्यूनतम 9 मीटर से तथा भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर हो तो, भवन की ऊँचाई निमानुसार निर्धारित होगी।
		सम्बन्धित भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की चौड़ाई को ऊँचाई से, भूद्वाने पर उपलब्ध चौड़ाई का अन्तर के आवे को मोहाने की चौड़ाई से जोड़ते हुये ग्राम योग के अनुसार भवन की ऊँचाई भवन उपविधि के मानकों के अनुसार अनुमत्य देंगे।
		(3) ऐसे डेड एण्ड मार्ग जिनकी न्यूनतम चौड़ाई 6 मीटर तथा लम्बाई मुख्य वाहनीय मार्ग से अधिकतम 200 मीटर हो, पर स्थित भूखण्ड हेतु उक्त वाहनीय मार्ग को भूखण्ड का पहुँच मार्ग माना जायेगा तथा इसी आधार पर उक्त भूखण्ड मे भवन निर्माण मानक निर्धारित होगे।
		पुनर्स्थापित अन्य बिन्दु-
		2.62 मोटल-
		मोटल, को "motorist hotel" की संज्ञा दी जाती है जो मुख्यतः यात्रियों को मुख्य मार्ग के समीप किएकायती दरों मे भोजन, आवास तथा वाहनों को पाकिंग सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्भर किये जाते हैं। इनमे समाच्छतः एक तल तथा अधिकतम दो तलों निर्माण अनुमत्य होता है तथा अधिकांश स्थान वाहन पार्किंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है।
		2.63 लिपट के लिये पुनर्स्थापित अन्य बिन्दु-
		अग सेट वेक व अच्य तीन सेटेके मे सर्कलेशन क्षेत्र को छोड़ते हुये शेष क्षेत्र मे, लिपट का निर्माण अनुमत्य होगा, जिसकी गणना FAR मे नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐदियम की गणना इसकी गणना मे नहीं की जायेगी।
		2.64 पाकिंग के लिये पुनर्स्थापित अन्य बिन्दु-
		यदि भवन मे आवश्यक वाहित पाकिंग की पूर्ति, नेकेनाइज्ड पार्किंग के प्राविधिक किये जाने से पूर्ण की जा सकती है तो, इस स्थिति मे भूखण्ड मे अतिरिक्त पाकिंग क्षेत्र उपलब्ध कराये जाने की

उपविष्ठि / विनियम की बिंदु संख्या	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविष्ठि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानकों में संशोधित प्राविधान
1	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविष्ठि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक से वर्तमान प्राविधान
2	उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविष्ठि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक में संशोधित प्राविधान
3	आवश्यकता नहीं होगी।
4	

CATEGORY	Plot size (4.2)	Amended minimum plot size sqm	Minimum Road width as per Building Bylaws (meter)	Road width (4.1)	Amended minimum road width (meter)	FAR as per Building Bylaws	FAR (5.5)	Ground Coverage (5.5)	Amended Ground coverage as per Building Bylaws	Max Height (Meter) of the building (5.1)
RESIDENTIAL										
Residential - Group Housing	1000	1000	7.5	6	1.4	1.4	40%	40%	40%	12
Affordable Housing	4000	2000	6	6	2	2	50%	50%	50%	12
EWS & Rehabilitation housing schemes (Flatted Unit Size-25-35 sqm)	NP***	1000	6	6	2	2	50%	50%	50%	12
COMMERCIAL										
Commercial/office spaces	NP	<25-100	NP	2 (Pedestrian path)	NP	1.3	NP	70%	70%	6
Single commercial unit/single commercial office (minimum area 25 sqm)	>100-200	>100-200	4.5	4.5	1.3	1.3	70%	70%	70%	6
	>200-2000	>200-2000	6	6	1.9	1.9	50%	50%	50%	12
	≥2000	≥2000	7.5	7.5	1.9	1.9	50%	50%	50%	12
	>2500	>2500	7.5	7.5	2.1	2.1	45%	45%	45%	Less than 15
*Mall with single screen	NP	750	NP	6	NP	1.6	NP	40%	40%	Less than 15
Mall with multiplex	1500	1000	9	7.5	2.2	2.2	40%	40%	40%	Less than 15
Serviced apartments	750	500	7.5	6	1.7	1.7	60%	60%	60%	12
Wedding points	1000	500	7.5	6	0.8	0.8	35%	35%	35%	6
*Hotels	750	—	7.5	—	1.8	—	45%	—	45%	4
**5 stars deluxe rating hotels	NP	1500	NP	7.5	NP	2	NP	45%	45%	Less than 15
5 stars rating hotels	NP	1000	NP	6	NP	1.8	NP	45%	45%	12
4 stars rating hotels	NP	1000	NP	6	NP	1.8	NP	50%	50%	12
Other hotels	NP	400	NP	6	NP	1.8	NP	50%	50%	9
Motel	2500	1000	9	7.5	0.6	0.6	30%	30%	30%	9
Resorts	2500	2500	9	7.5	0.9	0.9	30%	30%	30%	9

CATEGORY	Plot size (4.2)		Road width (4.1)		FAR (5.5)		Ground Coverage (5.5)		Max Height (Meter) of the building (5.1)
	Minimum Plot Size sqm as per Building Bylaws	Amended minimum plot size sqm	Minimum Road width as per Building Bylaws (meter)	Amended minimum road width (meter)	FAR as per Building Bylaws	Amended FAR	Ground Coverage as per Building Bylaws	Amended Ground coverage	
Eco resorts	750	750	7.5	4.5	0.25	0.25	20%	30%	3
Guest house	500	250	6	4.5	1.35	1.35	45%	45%	5
Hostel ***	500	-	6	-	1.35	-	45%	-	9
* Hostel upto 50 Beds	500	500	6	6	1.35	1.35	45%	45%	9
* Hostel upto 50-100 Beds	NM	750	NP	6	NP	1.8	NP	45%	12

* New category added

** Star rating as per guidelines of

Ministry of Tourism, Govt.

*** No Provisions in the current Building Bylaws

**** Hostel and Guest Houses are in a same category in current Building Bylaws

संख्या V/2-2019-55(आ) / 2006-टी०सी०- तददिनांक

तालिका-२

CATEGORY	Plot size (4.2)	Plain						Max Height (Meter) of the building (5.1)	
		Road width (4.1)		FAR (5.5)		Ground Coverage (5.5)			
		Minimum Plot Size sqm as per Building Bylaws	Amended minimum plot size sqm	Amended minimum road width	FAR as per Building Bylaws	Amended FAR	Ground Coverage as per Building Bylaws		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RESIDENTIAL	500	500	9	9	1.8	1.8	50%	50%	
	2000	2000	9	9	1.8	1.8	35%	35%	
	2000	NP	10	NP	1.8	NP	35%	16	
	2000	NP	11	NP	1.8	NP	35%	20	
Residential - Group Housing	2000	NP	12	NP	1.8	NP	35%	24	
	4000	9	9	2.1	2.1	50%	50%	12	
	4000	NP	10	NP	2.1	NP	50%	16	
	4000	NP	11	NP	2.1	NP	50%	20	
Affordable Housing	4000	NP	12	NP	2.1	NP	50%	24	
	4000	NP	9	9	2	2	50%	12	
	4000	NP	10	NP	2	NP	50%	16	
	4000	NP	11	NP	2	NP	50%	20	
EWS & Rehabilitation housing schemes (Flatted Unit Size- 25-35 sqm)	NP	2000	NP	12	NP	2	NP	50%	
	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	24	
	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	24	
	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	24	
COMMERCIAL									
Commercial/office spaces Single commercial unit/single commercial office	NP	<50-100	NP	9	NP	1.5	NP	65%	
	>100-200	>100-200	9	9	1.5	1.5	65%	65%	
	>200 -2000	>200 -2000	12	12	2.0	2.0	45%	45%	
	≥2000	≥2000	18	15	2.0	2.0	45%	45%	
Mall with multiplex	>2500	>2500	18	18	2.2	2.2	40%	40%	
	2500	1500	18	18	2.5	2.5	40%	40%	
	1000	750	15	15	1.8	1.8	55%	55%	
	2000	1500	18	18	1.0	1.0	33.3%	33.3%	
Serviced apartments Wedding points *Hotels	1000	-	15	-	2.0	-	40%	-	
	1000	-	15	-	2.0	-	40%	-	

कृपा

CATEGORY	Plot size (4.2)		Road width (4.1)		FAR (5.5)		Ground Coverage (5.5)		Max Height (Meter) of the building (5.1)
	Minimum Plot Size sqm as per Building Bylaws	Amended minimum plot size sqm	Minimum Road width as per Building Bylaws	Amended minimum road width	FAR as per Building Bylaws	Amended FAR	Ground Coverage as per Building Bylaws	Amended Ground coverage	
**5 stars deluxe rating hotels	NP	2000	NP	15	NP	3.0	NP	45%	20
5 stars rating hotels	NP	1500	NP	15	NP	2.4	NP	45%	16
4 stars rating hotels	NP	1000	NP	15	NP	2.4	NP	45%	16
Other hotels	NP	650	NP	12	NP	2.0	NP	45%	12
Motel	4000	4000	18	18	0.5	0.5	25%	25%	1
Resorts	4000	4000	18	18	0.75	0.75	25%	25%	9
Eco resorts	10000	4000	18	18	0.25	0.25	20%	20%	6
Guest House	750	500	15	15	1.60	1.60	40%	40%	7
Hostel ****	750	-	15	-	1.60	-	40%	-	12
* Hostel upto 50 Beds	750	750	15	15	1.60	1.60	40%	40%	12
* Hostel upto 50-100 Beds	NP	1000	NP	15	NP	2.00	NP	40%	16

* New category added

** Star rating as per guidelines of
Ministry of Tourism, Govt.

*** No Provision in the current
Building Bylaws

**** Hostel and Guest Houses are in a
same category in Current Building
Bylaws

Aff

Equivalent Car Parking Space (ECS) (5.6)

CATEGORY	ECS as per BBL	Amended ECS
1	2	3
RESIDENTIAL		
Single Residential Plot		
100-200 sqm	1 ECS	1 Parking space of 13.75 sqm
201-300 sqm	2 ECS	2 Parking space of 13.75 sqm each
	ECS /100 sqm	ECS /100 sqm
More than 300 sqm	1.00	1.00
Residential - Multiple Units	1.00	1.00
Residential - Group Housing		
50-75 sqm plinth area	1.00	1.00
75-150 sqm plinth area	1.25	1.00
150 sqm plinth area	1.50	1.25
COMMERCIAL		
upto 50 sqm	-	
upto 250 sqm	1.00	1.00
upto 500 sqm	1.50	1.50
upto 1500 sqm	2.50	2.00
More than 1500 sqm	2.50	2.50
Whole sale Market, Freight Market	3.50	3.00
Mall/multiplex/mix land use/ cinema hall		
upto 1500 sqm	3.50	3.00
More than 1500 sqm	3.50	3.50
Hotels	2.50	Upto 4 star hotels and other hotels -1 ECS for 2 guest rooms, More than 4 star hotels-1 ECS for 1 guest room, In both the cases additional parking for other commercial activities such as conference/banquet /exhibition hall/food court etc. @ 2.00 ECS per 100 sqmt of built-up area
Lodging/ Tourist house/Dharmshala/Musafeer Khanna/Guest house/Resort/Stand alone private Hostel	1.50	1.00
Hostel within the Academic Institution	-	0.75
Community Hall/Conference hall	2.00	2.00
Ashram/ Cultural or Social Institution	1.50	1.50
Nursing Home/PHC/Hospital	2.00	2.00
Barat Ghar (योजना के कुल क्षेत्र का 30 प्रतिशत अथवा प्रति 100 वर्ग मी० अच्छादित क्षेत्र या अंश पर ECS कि आधार पर पार्किंग स्थल मे से जो भी अधिक हो)	-	-

CATEGORY	ECS as per BBL	Amended ECS
1	2	3
Office/Court/Other Court	2.50	2.00
Primary/Secondary/High school/Intermediate	1.25	1.25
Colleges/technical institutes/ University	1.50	1.50
IT campus or related units	2.00	2.00
Industry (Home/Service/Small Industry) others	0.6	0.60
Industry others	2.75	2.00
Godam, cold storage	1.00	1.00
Stadium	20 seats 1 ECS	20 seats 1 ECS
Amusement park/entertainment place/exhibition area	30 % of total proposed area	30 % of total proposed area
Other community hall	1.5	1.50

